शौर्य शिक्षा ऋण

महत्वपूर्ण शर्तें एवं निबंधन

1. प्रयोजन जिसके लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है:

भारत और विदेश में अध्ययन के लिए सभी रैंकों में डिफेंस सैलरी पैकेज/ICGSP अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए शिक्षा ऋण।

2. पात्र पाठ्यक्रम:

क. भारत में अध्ययन के लिए:

- यूजीसी/सरकार/एआईसीटीई/एआईबीएमएस/आईसीएमआर, इत्यादि द्वारा मान्यताप्राप्त कालेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा चलाएं जाने वाले स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम।
- ICWA, CA, CFA, इत्यादि पाठ्यक्रम।
- IIM, IIT, IISc, XLRI, NIFT, NID, ISB, इत्यादि द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम।
- अनुमोदित व प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में चलाए जानेवाले पाठ्यक्रम।
- यदि पाठ्यक्रम भारत में किया जाता है तो, वैमानिकी, वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण, शिपिंग आदि, में नियमित डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम, नर्सिंग में डिग्री/डिप्लोमा या क्रमशः महानिदेशक नागर विमानन/नौवहन/या किसी अन्य विनियामक निकाय, जो भी हों, द्वारा अनुमोदित किसी भी पाठ्यक्रम।

ख. विदेश में पढ़ाई:

- स्नातक: प्रतिष्ठित संस्थानों के नौकरी उन्मुख पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए (फाउंडेशन/पाथवे/ एकीकृत पाठ्यक्रमों सहित)
- स्नातकोत्तर: प्रतिष्ठित संस्थानों के रोजगार उन्मुख व्यावसायिक/तकनीकी स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जैसे कि एमसीए, एमबीए, एमएस, आदि।
- डॉक्टरेट कार्यक्रम (पीएचडी) पाठ्यक्रम
- CIMA, लंदन (चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स) द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीपीए (प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार) आदि।
- वैमानिकी, पायलट प्रशिक्षण, शिपिंग आदि जैसे डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बशर्ते ये भारत/विदेश में रोजगार के उद्देश्य से भारत/विदेश में सक्षम नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त हों।

3. छात्र हेतु पात्रता:

- भारत और विदेश में अध्ययन के लिए सभी रैंकों में डीएसपी/ आईसीजीएसपी अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियाँ।
- सह-उधारकर्ता हमारे बैंक में डायमंड/प्लैटिनम श्रेणी डीएसपी/ आईसीजीएसपी खाता धारक होना चाहिए। सह-आवेदक का वेतन/ पेंशन खाता ऋण अवधि के दौरान एसबीआई के साथ होना चाहिए।

4. ऋण के लिए पात्र खर्च:

- कॉलेज/स्कूल/हॉस्टल को देय शुल्क
- परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक पुस्तकों/उपकरणों/यंत्र/वर्दी की खरीद, कंप्यूटर की खरीद -
- पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य खर्च - जैसे अध्ययन पर्यटन, परियोजना कार्य, थीसिस आदि।
- संस्थान द्वारा दिए गए बिल/रसीद द्वारा समर्थित सावधानी जमा/भवन निर्माण निधि/वापसी योग्य जमा
- विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा खर्च।
- ₹ 50,000 तक की कीमत के एक दोपहिया वाहन को वित्त के लिए पात्र माने जाने वाले खर्चों में शामिल किया जा सकता है जहां ऋण राशि उपयुक्त तृतीय-पक्ष गारंटी और/या मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति युक्त हो।
- 'ऋण रक्षा' बीमा पॉलिसी का प्रीमियम: 'ऋण रक्षा' के लिए दिए जाने वाले वित्त से ऋण के बीमा-कवरेज में सुधार होगा।

5. ऋण राशि:

- भारत में अध्ययन : 40 लाख रुपये तक
- विदेश में अध्ययन: 1.50 करोड़ रुपये तक

6. मार्जिन:

- रु.4 लाख तक: शून्य
- 4 लाख रुपये से अधिक: 5 %
- उधारकर्ता/गारंटीकर्ता की स्वत्वाधिकार जांच रिपोर्ट (टीआईआर) और मूल्यांकन रिपोर्ट से जुड़े खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएँगे।
- छात्रवृत्ति/सहायक राशि को मार्जिन में शामिल किया जाना है।
- जब भी संवितरण किए जाते हैं, यथानुपात-दर-आधार पर मार्जिन लाया जाएगा।

7. प्रतिभूति:

❖ भारत में अध्ययन:

- रु 7.50 लाख तक: शून्य
- 7.50 लाख रुपये से अधिक और 40 लाख रुपये तक: प्रत्याभूत ऋण के मामले में उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के साथ वैकल्पिक: तरल संपार्श्विक- ऋण राशि का 100%, या संपत्ति संपार्श्विक के मामले में- ऋण राशि का 110%।

❖ विदेश में अध्ययन:

- रु 7.50 लाख तक: शून्य
- 7.50 लाख रुपये से अधिक और 40 लाख रुपये तक: उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता के साथ वैकल्पिक।
- 40 लाख रुपये से अधिक या प्रत्याभूत ऋण (40 लाख रुपये तक) के मामले में: तरल संपार्श्विक- ऋण राशि का 100%, या संपार्श्विक के रूप में संपत्ति- ऋण राशि का 110%.

❖ संस्वीकृति की तारीख से साम्यक बंधक (ईएम) दर्ज कराने के लिए 6 महीने का समय प्रदान किया जाता है। 6 महीने से अधिक साम्यिक बंधक के निर्माण में देरी होने की स्थिति में बकाया पर प्रति माह 2% का दंड शुल्क लगाया जाएगा। 6 महीने के भीतर साम्यिक बंधक दर्ज नहीं करने की स्थिति में 7वें महीने से जुर्माना वसूला जाएगा।

❖ दस्तावेज छात्र और संयुक्त-उधारकर्ता के रूप में माता-पिता दोनों द्वारा निष्पादित किए जाएँ। यदि छात्र नाबालिग है, तो दस्तावेज 'स्वयं के लिए' के साथ-साथ 'नाबालिग के लिए और उसकी ओर से' अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

❖ छात्र उधारकर्ता के माता-पिता को सह-देयताधारी बनाए और वे डायमंड/ प्लैटिनम श्रेणी डीएसपी/आईसीजीएसपी वेतन पैकेज खाता धारक होना चाहिए।

8. मूल्यांकन, संस्वीकृति एवं संवितरण:

- ऋण सह-उधारकर्ता के स्थायी निवास स्थान/के रोजगार के स्थान/संपत्ति के स्थान पर संस्वीकृत किया जाता है।
- ऋण यथासंभव सीधे संस्थानों/पुस्तकों/उपस्करों/यंत्र विक्रेताओं को आवश्यकतानुसार/मांग के अनुसार चरणों में वितरित किया जाना है।
- वास्तविक मामलों में, उधारकर्ता द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से संस्थान को पहले से ही भुगतान किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, बशर्ते प्रतिपूर्ति का दावा ऐसे भुगतान के 6 महीने के भीतर किया जाए और रसीदों/भुगतान के प्रमाण/ खाता विवरण आदि द्वारा सत्यापित किया जा सके।

9. प्रोसेसिंग शुल्क:

- ₹ 20.00 लाख तक के ऋण के लिए: शून्य
- ₹ 20 लाख से अधिक के ऋण के लिए: ₹ 10,000 (जीएसटी जोड़ें)

10. ब्याज दर:

- कृपया नवीनतम ब्याज दर के लिए https://sbi.co.in/web/interest-rates/interest-rates/loan-schemes-interest-rates/ education-loan-scheme पर जाएं।

11. जुर्माना: यदि समान मासिक किस्त का भुगतान (स्थायी अनुदेश/ एनएसीएच की विफलता/ चेक की वापसी आदि किसी भी कारण से) नियत तिथि से 30 दिनों की अवधि के बाद भी न किया गया हो तो 4 लाख रुपये से अधिक के ऋणों के लिए 2% प्रति माह की दर से चूक की राशि पर दंडात्मक ब्याज, लागू दर के अलावा, लगाया जाएगा।

12. चुकौती अवकाश/ अधिस्थगन अवधि:

- चुकौती अवकाश/अधिस्थगन: पाठ्यक्रम की अवधि पूरा होने के बाद 1 वर्ष, या नौकरी पाने के 6 महीने बाद, जो भी पहले हो।
- पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान वैकल्पिक है।

13. चुकौती अवधि:

- चुकौती अवधि: पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के पूरा होने के बाद 15 वर्ष तक।
- यदि छात्र निर्धारित समय के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए समय के विस्तार की अनुमति अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए दी जा सकती है।
- यदि ब्याज का भुगतान पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के दौरान नहीं किया जाता है, तो अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ें और समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में बांट दें।

14. टॉप-अप ऋण

- समग्र ऋण सीमा के भीतर, भारत या विदेशों में पेशेवर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए दूसरा ऋण (टॉप अप) दिया जा सकता है, बशर्ते ऐसे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम पहले ऋण की अधिस्थगन अवधि के दौरान शुरू किया जाता है और दूसरा ऋण कुल ऋण सीमा की प्रतिभूति में शामिल किया जा सकता हो।
- प्लेसमेंट के बाद छात्र की अनुमानित आय, पूर्ण ऋण चुकौती राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। चूंकि छात्र पहले पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद नौकरी करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए पहले पाठ्यक्रम के पूरा होने के एक वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसके दायित्व को भी स्थगित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे मामलों में, अधिस्थगन अवधि को दूसरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और संयुक्त चुकौती को दूसरा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

नोट: ऐसे मामलों में जहां छात्र किसी अन्य बैंक से दूसरा ऋण प्राप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, अधिस्थगन अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

15. ऋण आवेदन के निपटान के लिए समयावधि

- अधिकतम 15 दिन, सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के बाद।
- समय सीमा आवेदक से पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से शुरू होती है और आवेदक द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और/या बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवेदक द्वारा लिए गए समय को ऊपर इंगित समयसीमा के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
- सभी समयसीमा की गिनती पूर्ण कार्य दिवसों के आधार पर होगी। जहां कहीं भी एक या एक से अधिक केंद्रों पर विभिन्न प्राधिकरणों/सरकारी निकाय के साथ सत्यापन आदि की आवश्यकता होती है, कम से कम 15 अतिरिक्त कार्य दिवस लागू होंगे।
- बैंक के नियंत्रण से परे (स्थितियों और परिस्थितियों को छोड़कर) हम हर समय, संकेतित समय-सीमा के भीतर संस्वीकृत करने का प्रयास करेंगे।

ग्राहक सेवा:

किसी भी सेवा संबंधी मुद्दे के लिए, ग्राहक SBI से संपर्क कर सकते हैं:

- ग्राहक सहायता नंबर पर कॉल करें।
- हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालयों में ग्राहक शिकायत कक्ष से संपर्क करें।
- हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालयों में शिकायत कक्ष को लिखें।

(www.sbi.co.in पर हेल्पलाइन नंबर और शिकायत कक्ष के विवरण उपलब्ध है)

यदि कोई ग्राहक स्थानीय प्रधान कार्यालय द्वारा शिकायत निवारण कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो निम्नलिखित पते पर पत्र भेज सकते हैं (स्थानीय प्रधान कार्यालय को पहले भेजे गए संदेश सहित) -

ग्राहक सेवा विभाग,

भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक भवन,

16वाँ तल, मैडम कामा रोड, मुंबई 400 021

टेलिफोन: 022-22029456, फैक्स: 022 22742431

ईमेल पता - customercare@sbi.co.in

टोल फ्री नंबर: 1800 - 1234, 1800 - 2100, 1800-11-2211, 1800-425-3800, 080-26599990

प्रकटीकरण:

भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी विद्यमान या भविष्य के क्रेडिट ब्यूरो को ऋण संबंधी कोई भी जानकारी समय-समय पर (उधारकर्ता को सूचना दिए बिना) देने का अधिकार है। भारतीय स्टेट बैंक किसी भी क्रेडिट ब्यूरो से पूछताछ करने और आवेदकों की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकृत है।

*यहां उल्लिखित शर्तें एवं निबंधन बिना पूर्व सूचना के परिवर्तनीय हैं।